"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च 2017—चैत्र 10, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1997), सचिव, मुख्यमंत्री, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, सचिव, खनिज साधन विभाग, अध्यक्ष, सी.एम.डी.सी. तथा सचिव, लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल लाईन परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1-11/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ संवर्ग के प्रशासनिक आधार पर निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को स्थानांतरित करते हुये उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	प्रस्तावित पदस्थापना (4)
1.	श्री शेख आरिफ हुसैन (भापुसे-2005)	पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार	पुलिस अधीक्षक, बस्तर
2.	श्री आर. एन. दाश (भापुसे-2006)	पुलिस अधीक्षक, बस्तर	पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा
3.	श्री अभिषेक मीणा (भापुसे-2010)	पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर	पुलिस अधीक्षक, सुकमा
4.	श्री इंदिरा कल्याण एलेसेला (भापुसे-2011)	पुलिस अधीक्षक, सुकमा	पुलिस अधीक्षक, एस.आई.बी., रायपुर
5.	श्री संतोष कुमार सिंह (भापुसे-2011)	पुलिस अधीक्षक, कोंडागांव	पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर
6.	श्री आशुतोष सिंह (भापुसे-2012)	पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ., बघेरा	पुलिस अधीक्षक, कोंडागांव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण देव गौतम, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2017

क्रमांक/एफ 7/29/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आशुतोष सिंह (भापुसे-2012), पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. बघेरा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ को दिनांक 01-12-2016 से 09-12-2016 तक (कुल 09 दिवस) का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा दिनांक 10 एवं 11-12-2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष सिंह, आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष सिंह (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2017

क्रमांक-एफ 7-8/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री टी. जे. लॉगकुमेर, (भापुसे-1991) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल/यातायात, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर (छ.ग.) को दिनांक 18-10-2016 से 26-11-2016 तक (कुल 40 दिवस) तक अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टी. जे. लॉगकुमेर आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल/यातायात, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री लॉगकुमेर को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लॉगकुमेर (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक 276/899/भापुसे/दो-गृह/2012.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम.डब्ल्यु.अंसारी, भापुसे, महानिदेशक-सह-संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 14-03-2017 से 17-03-2017 तक (कुल 04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है, साथ ही दिनांक 11,12,13 तथा 18 एवं 19-03-2017 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम.डब्ल्यु. अंसारी भापुसे, महानिदेशक-सह-संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अंसारी को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम.डब्ल्यु . अंसारी (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक कर्मशाला अधीक्षक, प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	चयनित उम्मीदवार का नाम (2)	प्रस्तावित पदस्थापना (3)
1.	श्री आनंद साहू	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुन्द

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होंगी :—
   (क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

   (ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता (मेकेनिकल) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	चयनित व्याख्याता का नाम (2)	विषय (3)	पदस्थापना का स्थान (4)
1.	श्री सालिक राम ढीमर	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
2.	श्री सरोज कुमार महिलांगे	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का

भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/ विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 10-02/2017/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक-XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा-34 के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य शक्ति श्री अविनाश चम्पावत् श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए प्रयोग में लायी जावेगी.

No. F 10-02/2017/16.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act, 1947 (No. XIV of 1947) and in supersession of all previus notifications on the subject, the State Government hereby directs that powers under Section 34 of the said Act shall be exercisable by Shri Avinash Champavat, Labour Commissioner Raipur for the State of whole Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 05–95/2016/32.—यत:, संविधान के अनुच्छेद 48–क, देश के पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा परिकल्पित करता है.

और यत:, यह ज्ञात है कि पतंग उड़ाने के लिये प्रयुक्त *पक्का* धागा, जिसे सामान्यत: चीनी मांझा अथवा चीनी धागा के रूप में जाना जाता है, जो प्लास्टिक तथा सिन्थेटिक सामग्री से विनिर्मित होते हैं जो लोगों को चोटें कारित करती हैं तथा पक्षियों के लिये प्राणघातक है.

और यत:, ऐसा धागा, जो कि गैर विघटनकारी है, कई तरीके से पर्यावरण को हानि पहुंचाता है जिसमें सीवरों, जल निकासी व्यवस्था, नदियों, जलप्रवाहों, जलाशयों को अवरूद्ध करना तथा उसे (धागे को) खा लेने वाले पशु का दम घुटना भी सम्मिलित है.

और यत:, ऐसा धागा, बिजली का सुचालक है, इसके परिणामस्वरूप प्राय: बिजली की लाईनों तथा सबस्टेशनों पर फ्लैशओवर (बिजली कट) हो जाती है, बिजली अवरूद्ध हो जाती है, विद्युत्तीय संपत्तियों में खिंचाव एवं नुकसान पहुंचता है, दुर्घटनायें होती हैं, चोंटे लगती हैं और जीवन की हानि होती है.

और यत:, पक्षियों की कतिपय प्रजातियां, दुर्लभ विलुप्त हो रही है तथा उनको इस तरह से होने वाली चोटों से सुरक्षित रखना अत्यावश्यक है.

और यत:, मूल आवेदन क्रमांक 384 सन् 2016, खालिद अशरफ वि. यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में प्रबुद्ध राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश के परिपालन में, इस विषय का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के उपरांत, राज्य शासन की राय है कि वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण के हित में, ऐसे सिन्थेटिक धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाये.

और यत:, केन्द्र सरकार ने, तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य, अब छत्तीसगढ़ शासन को, अपनी अधिसूचना क्रमांक 1(38)/86–पीएल, दिनांक 10 फरवरी, 1988 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 के अंतर्गत निहित शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं.

अतएव, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 5 सहपठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उप–नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामान्य सुरक्षा एवं जैव विविधता पर ऐसे सिंथेटिक धागे के उपयोग के विपरीत प्रभाव के समाधान के लिये तथा ऐसे धागे के विकल्प स्वरूप पर्यावरण हितैषी धागे के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नायलोन, सिंथेटिक अथवा कोई अन्य ऐसे धागे, जो पतले छोटे–छोटे शीशे, धातु या कोई अन्य धारदार सामग्री से युक्त हों जिसमें ऐसे धागे जिसे सामान्यत: चीनी मांझा या चीनी धागा के रूप में जाना जाता है भी सम्मिलित है, के छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय, उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति एवं उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करती है.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन जारी निर्देशों का उल्लंघन, उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय होगा, जिसके अंतर्गत कारावास जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी के साथ जुर्माना जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों, सम्मिलित है, का प्रावधान है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 05-95/2016/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-02-2017 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 25th February 2017

No. F 05-95/2016/32.—Whereas, Article 48-A of the Constitution envisages protection and improvement of the environment and safeguarding of the forests and wild life of the country.

And whereas, it is known that the *pukka* thread, commonly known as Chinese Manja or Chinese Dor, used for kite flying, manufactured from plasitc and synthetic materials, causes injuries to people, and is fatal for birds.

And whereas, such thread being non-biodegradable, damages the environment in several ways including blockage of sewers, drainage systems, rivers, streams, reservoirs and suffocates animals who may consume the same.

And whereas, such thread is a conductor of electicity, it often results in flash-overs on the power lines and sub-stations, causes power interruptions, straining and damaging of electrical assets, accidents injuries and loss of life.

And whereas, certain species of birds are getting rare or extinct and it is imperative to protect them from similarly resulting injuries.

And whereas, in compliance of the order of the Learned National Green Tribunal in Original Application No. 384 of 2016 *Khalid Ashraf* v. *Union of India & Others*, the State Govenment upon carefully examining the matter is of the opinion that the use of such synthetic thread be banned in the interest of safety and conservation of wildlife.

And whereas, the Central Government vide its notification No. 1 (38)/86-PL, dated 10th February, 1988 has delegated the powers vested in it under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) to the Government of the erstwhile state of Madhya Pradesh, now Chhattisgarh.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986), read with sub-rule (5) of Rule 4 of the Enviroment (Protection) Rules, 1986, in order to address the adverse effect of the use of such synthetic thread on general safety and biodiversity, and to promote use of eco-friendly alternatives to such thread, the State Government, hereby, completely prohibits the sale, production, storage, supply and use of nylon, synthetic or any other such thread coated with finely crushed glass, metal, or any other sharp objects, including threads commonly known as Chinese Manja or Chinese Dor, in the State of Chhattisgarh.

The violation of the directions issued under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986), or the rules made thereunder shall be punishable under Section 15 of the said Act which includes imprisonment for a term which may extend to five years with fine which may extend to one lakh rupees or with both.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक 2820/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	भूतहा प.ह.नं. 13	0.072	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 6, सक्ती.	बोराई नदी पर कचंदा एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक 2822/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कचंदा प.ह.नं. 10	0.069	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर सं. क्र. 6, सक्ती.	बोराई नदी पर कचंदा एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्रमांक 48/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-उपका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.482 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	123/3	0.069
	124/1	0.081
	190/2	0.024
	124/2	0.081
	190/3	0.020
	192/1	0.207
योग	6	0.482

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उपका व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2017

क्रमांक 65/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बिल्लीबंद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.945 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	623/1	0.024
	623/2	0.142
	626	0.020
	698/1	0.008
	623/3	0.028
	701/1	0.008
	701/2	0.126
	706/3	0.032
	704/3	0.142
	705	0.068
	716	0.008
	720/1	0.040
	720/2	0.036
	720/3	0.093
	701/2	0.052
	700/1	0.052
	706/1	0.064
योग	17	0.945

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमापारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्रमांक 50/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.412 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1002/1	0.024
	1021	0.045
	1023/2	0.020
	1025/1	0.036
	1025/4	0.036
	1005/1	0.004
	1023/1	0.045
	1011	0.024
	1025/3	0.041
	1020/1	0.057
	1003/1	0.032
	1010	0.020
	1006	0.028
योग	13	0.412

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमापारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 23 मार्च, 2017

क्रमांक 2166/न.ग्रा.नि./2017.—एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि खरोरा निशेष क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, जिसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला-रायपुर (छ.ग.), कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) एवं कार्यालय नगर पंचायत, खरोरा में दिनांक 30 मार्च, 2017 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

खरोरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बरडीह, नहरडीह, खरोरा तथा खोलीडबरी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम खोलीडबरी, खरोरा, माठ तथा मुड़पार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम मुडपार, तिल्दाडीह, बेलदार सिवनी, नवागांव, बुडेरा, केवराडीह, मादाडीह तथा कनकी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कनकी, सिर्री, बरडीह तथा नहरडीह ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा, उस पर कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :

1. कार्यालय नगर पंचायत, खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
2. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)

No. 2166/T&CP/2017.—Notice is hereby given that the existing land use maps and registers for Kharora Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection w.e.f. 30 March, 2017 during office hours in the office of the Collector, District-Raipur (C.G.) Office of the Joint Director Town and Country Planning, Shastri Chowk, Raipur (C.G.) and office of the Nagar Panchayat, Kharora, The limits of Kharora Planning Area are defind in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Kharora Planning Area Limits

NORTH	:	Village Bardih, Nahardih, Kharora and upto the Northern limit of Khaulidabri Village.
WEST	:	Village Khaulidabri, Kharora, Math and upto the Western limit of Mudpar Village.
SOUTH	:	Village Mudpar, Tildadih, Beldar Seoni, Nawagaon, Budera, Keoradih, Madadih and upto the Southern limit of Kanki Village.
EAST	:	Village Kanki, Sirri, Bardih and upto the Eastern limit of Nahardih Village.

If there be any objections or suggestions with respect to the existing land use maps and register so prepared it should be sent in writing to the above mentioned places, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said existing land use maps and register before the period specified above will be considered by the Joint Director Town and Country Planning Shastri Chowk, Raipur (C.G.)

Place of Inspection :—

1. Office of the Nagar Panchayat, Kharora, District-Raipur (C.G.)
2. Joint Director Town and Country Planning Shastri Chowk, Raipur (C.G.)

विनीत नायर,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, छ.ग.

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्रमांक/क/रीडर-जिला दण्डा./106/2017.—उप संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी ने अपने पत्र क्रमांक/मा.चि./2245 लोरमी दिनांक 20-11-2015 में, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर के पत्र क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-198/2710 रायपुर दिनांक 06-10-2015 का हवाला देते हुए बताया कि अचानकमार के कोर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित इस मार्ग में वाहनों के आवाजाही से वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संवर्धन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. अतः कोटा-अचानकमार-केंवची मार्ग को बंद किए जाने की कार्यवाही का अनुरोध किया गया है.

अचानकमार टाईगर रिजर्व के स्थानीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक दिनांक 14-03-2015 को आयोजित की गई जिसमें अचानकमार टाईगर रिजर्व की सड़क आवाजाही के लिए बंद करने तथा विकल्प के रूप में तैयार आरएमकेके मार्ग पर आवागमन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है. इसी प्रकार अचानकमार टाईगर रिजर्व के विकास संबंधी गठित स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक दिनांक-22-12-2016 में भी कोटा केंवची मार्ग बंद करने के संबंध में हुई चर्चा में यह ध्यान में लाया गया कि इस मार्ग में बसों के आवागमन को पूर्णत: प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता क्योंकि अचानकमार टाईगर रिजर्व के ग्रामवासियों/स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन का अन्य विकल्प नहीं है, अत: सूर्योदय-सूर्यास्त के मध्य इन्हें संचालत किया जा सकता है.

संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर द्वारा दिनांक-04-01-2017 को वन विभाग के अधिकारियों एवं जिला बिलासपुर एवं जिला बिलासपुर के कलेक्टरों के साथ एक समीक्षा बैठक ली गई थी, जिसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक-1641/का.अ.-1/क्षेपअ/2016-17 बिलासपुर दिनांक 04-01-2017 में उक्त मार्ग पर संचालित वाहनों की जानकारी दी गई साथ ही माह नवम्बर, 2016 एवं दिसम्बर, 2017 में इस मार्ग पर चलने वाले विभिन्न वाहनों की संख्या भी बताई गई. यह संख्या फारेस्ट चेक पोस्ट से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई थी. अन्य विषयों पर चर्चा के साथ कोटा-अचानकमार-केंवची मार्ग को बंद किए जाने के संबंध में विचार विमर्श हुआ एवं यह निर्णय लिया गया कि—

अ— पूर्व से संचालित बसों एवं मोटरसायकल को प्रतिबंधित नहीं किया जावेगा किन्तु इस मार्ग से नवीन बसें संचालित नहीं होंगी.

ब— स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए हल्के मोटरयान संचालन हेतु बैरियर से पास बनाया जाकर मार्ग में उनके ग्राम तक प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु किसी भी हल्के मोटरयान को पूरे मार्ग को पार करने की अनुमति नहीं होगी.

स— इस मार्ग पर भारी मालयान का परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित होगा.

उपरोक्त मार्ग से गुजरने वाले प्रतिबंधित वाहन अब रतनपुर, मजवानी, केंदा, केंवची (आर.एम.के.के.) मार्ग से आवागमन करेंगे.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) छत्तीसगढ़ द्वारा वन्यप्राणी (सरंक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-27 के अन्तर्गत कोटा-केंवची हाईवे को (अचानकमार क्षेत्र के निवासरत लोगों को छोड़कर) सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन के लिए प्रतिबंधित किया जाना प्रस्तावित किया है.

उपरोक्त आधार पर अचानकमार टाईगर रिजर्व के वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए इसके बीचों बीच से गुजरने वाले कोटा-अचानकमार-केंवची हाईवे में आवागमन प्रतिबंधित करने के संबंध में स्थानीय सलाहकार समिति के निर्णय एवं उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी के आवेदन पर विचार करते हुए मैं जिला दण्डाधिकारी, जिला-बिलासपुर, उक्त मार्ग के बिलासपुर जिले के अन्तर्गत आने वाले भाग के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 एवं छ.ग. मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के तहत कोटा-अचानकमार-केंवची हाईवे की सीमा में इस कार्यालय के आदेश क्र. क/रीडर-जिला-दण्डा./561/2017 बिलासपुर दिनांक 19 जनवरी 2017 के द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि—

अ— पूर्व से संचालित बसों एवं मोटरसायकल पूर्ववत संचालित होंगी किन्तु इस मार्ग से नवीन बसें संचालित नहीं होंगी.

ब— स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए हल्के मोटरयान संचालन हेतु बैरियर से पास बनाया जाकर मार्ग में उनके ग्राम तक प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु किसी भी हल्के मोटरयान को पूरे मार्ग को पार करने की अनुमति नहीं होगी.

स— इस मार्ग पर भारी मालयान का परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.

उपरोक्त मार्ग से गुजरने वाले प्रतिबंधित वाहन अब रतनपुर, मजवानी, केंदा, केंवची (आर.एम.के.के.) मार्ग से आवागमन करेंगे.

यह कि उपरोक्त आदेश को वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए आगामी समय के लिए भी प्रभावशील रखा जाना आवश्यक है. अत: आज दिनांक 16 फरवरी, 2017 से इसे पुन: प्रभावशील किया जाता है.

आज दिनांक 16 फरवरी 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया.

अन्बलगन पी.,
कलेक्टर.